THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 10 Jan, 2026

Edition : International Table of Contents

पेज 05 पाठ्यक्रम: प्रारम्भिक परीक्षा	डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण किया
पेज 05 पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन III : आंतरिक सुरक्षा	शाह ने भारत में बम धमाकों का डेटाबेस लॉन्च किया
पेज 08 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन II: सामाजिक न्याय / प्रारंभिक परीक्षा	जमीन पर जमीन के मालिक, अनौपचारिक रिकॉर्ड नहीं
पेज 10 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन I: सामाजिक मुद्दे / प्रारंभिक परीक्षा	महिलाएं, लगभग डिस्कनेक्ट हो गई हैं
पेज 11 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन III: भारतीय अर्थव्यवस्था / प्रारंभिक परीक्षा	दिसंबर में इक्विटी पर गोल्ड ईटीएफ स्कोर।
पेज 06 : संपादकीय विश्लेषण पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन II : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	डी-डॉलरीकरण का डर: तेल पर अमेरिका के कदम वैश्विक व्यापार और वित्त पर उसकी बेचैनी को दर्शाते हैं

पेज 05: प्रारंभिक परीक्षा

भारत ने सक्रिय रूप से कूल्ड स्क्रैमजेट कम्बस्टर के सफल लंबी अवधि के जमीनी परीक्षण के साथ उन्नत रक्षा और एयरोस्पेस प्रणालियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तकनीकी मील का पत्थर हासिल किया है। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल) द्वारा किया गया था, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत एक प्रमुख प्रयोगशाला है, जो भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समाचार से मुख्य तथ्य

- यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा किया गया था।
- इसमें एक पूर्ण पैमाने पर, सक्रिय रूप से ठंडा स्क्रैमजेट दहन शामिल था।
- दहन मशीन ने 12 मिनट से अधिक समय तक निरंतर प्रदर्शन किया, जिसे एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जाता है।
- यह परीक्षण डीआरडीएल की स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी में आयोजित किया गया था।
- यह उपलब्धि भारत को उन्नत हाइपरसोनिक प्रणोदन क्षमताओं वाले देशों के चुनिंदा समूह में रखती है।



DRDO conducts key test for hypersonic missile programme

The Defence Research & Development Laboratory, the Hyderabad-based laboratory of the Defence Research and Development Organisation, has achieved a milestone in India's hypersonic missile programme with the successful long-duration ground test of an actively-cooled scramjet full-scale combustor. The Defence Ministry said the test was conducted on Friday at the DRDL's state-of-the-art Scramjet Connect Pipe Test Facility, where the combustor demonstrated sustained performance for over 12 minutes. The successful trial positions India among the global leaders in advanced hypersonic, aerospace technologies.

प्रासंगिक अवधारणाएँ

- **हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी:** मच 5 या उससे अधिक (ध्वनि की गति से पांच गुना) की उड़ान गति को संदर्भित करता है।
- **स्क्रैमजेट (सुपरसोनिक दहन रैमजेट):**
  - एक हवा में सांस लेने वाला इंजन जिसमें कोई हिलता हुआ हिस्सा नहीं होता है।
  - दहन के लिए ऑक्सीजन पारंपरिक रॉकेट इंजनों के विपरीत, वायुमंडल से खींची जाती है।
  - निरंतर हाइपरसोनिक क्रूज को सक्षम बनाता है, रेंज और दक्षता में सुधार करता है।
- **सक्रिय रूप से ठंडा दहनकर्ता:**
  - आवश्यक क्योंकि हाइपरसोनिक गति अत्यधिक तापमान उत्पन्न करती है।
  - संरचनात्मक विफलता को रोकता है और लंबी अवधि के संचालन की अनुमति देता है।

रणनीतिक और परीक्षा महत्व

- भारत की मिसाइल प्रतिरोधक क्षमता और सामरिक स्वायत्तता को बढ़ाता है।
- विदेशी प्रणोदन प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करता है।
- भविष्य की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और अंतरिक्ष-पहुंच प्रणालियों में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक- रक्षा, मिसाइल, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास।

निष्कर्ष

लंबी अवधि का सफल स्क्रैमजेट कम्बस्टर परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह स्वदेशी रक्षा अनुसंधान एवं विकास की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ के साथ अत्याधुनिक एयरोस्पेस और हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों में एक वैश्विक नेता के रूप में भारत के उद्भव को रेखांकित करता है।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए हाल ही में परीक्षण किया गया स्क्रैमजेट कम्बस्टर निम्नलिखित में से किस संगठन/प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था?

(a) **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड** (**एचएएल**)

(b) **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन** (**इसरो**)

(c) **रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला** (**डीआरडीएल**)

(d) **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड** (BEL)

उत्तर : c)

पेज 05 : सामान्य अध्ययन III : आंतरिक सुरक्षा

नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (NIDMS) का उद्घाटन भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया, यह प्लेटफॉर्म 1999 के बाद से बम विस्फोटों और आईईडी की घटनाओं पर राष्ट्रव्यापी डेटा को एकल, सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरी में समेकित करता है। यह खंडित, साइलो-आधारित डेटा हैंडलिंग से एकीकृत, प्रौद्योगिकी-संचालित सुरक्षा प्रबंधन की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

Shah launches database on bomb blasts in India

National Improvised Explosive Device Data Management System will have details since 1999; it will be crucial in probing terrorist activities, and formulating effective strategies against them, he says

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Union Home Minister Amit Shah on Friday inaugurated the National Improvised Explosive Device Data Management System (NIDMS), a first-of-its-kind platform that contains details of every bomb blast that has occurred in the country since 1999.

Mr. Shah said the NIDMS would prove extremely important in the coming days for the investigation of all types of terrorist incidents and for analysing their various aspects.

The Minister said the Union Home Ministry had generated different kinds of data over the years, but these remained in silos until now.

"Now, we are making efforts to connect all these data sources with one another and to develop an advanced artificial intelligence-based software for their analysis. Today's launch of NIDMS will accelerate this process and prove to be an important milestone in the direction of making the country safe from terrorism," Mr. Shah said.



Union Home Minister Amit Shah inaugurates National IED Data Management System of NSG via video conference. PTI

The NIDMS headquarters is located at the National Security Guard (NSG) garrison in Manesar, Haryana. The online database can be accessed by State police, Central Armed Police Forces, and other investigating agencies. The NSG is the primary force for conducting post-blast analysis.

Mr. Shah said data related to any explosion or IED incident occurring at any location could be included in the system and that its use would provide necessary guidance during investigations across States. He said the platform would be crucial in investigating terrorist activities, understanding trends in explosions and formulating effective strategies against them.

The NIDMS would become a robust platform for accurately analysing patterns of bomb blasts, the *modus operandi* and the explosives used. It would also help establish inter-linkages between incidents based on *modus operandi* and circuit methods, and in understanding overall trends and insights.

The NIDMS is a secure national digital platform designed to enable accurate and organised analysis of bomb explosion-related incidents across the country.

It will strengthen the collection, standardisation, integration and secure sharing of IED-related data. Mr. Shah said it would serve as a single-click access window for data scattered across different case files for investigation agencies and anti-terror organisations.

Explaining the features of the platform, Karan Sharma, Squadron Commander of the National Bomb Data Centre, NSG, said, "One of its main functionalities is that it establishes the signature link between two or more incidents. This could be either location, type of explosions or even the circuit used. For example, the same type of delayed circuit timer was used in the March 2024 Rameswaram cafe blast and in the 2022 Mangaluru blast. Police can use this information during investigation, and the information can be used for predictive analysis in the future."

मुख्य विशेषताएं और महत्व

1. **केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस**
    - एनआईडीएमएस में 1999 के बाद से पूरे भारत में सभी बम विस्फोटों और आईईडी से संबंधित घटनाओं की व्यापक जानकारी शामिल है।
    - यह राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और जांच एजेंसियों के बीच समान डेटा संग्रह, मानकीकरण और सुरक्षित साझाकरण को सक्षम बनाता है।
2. **जांच और फोरेंसिक को मजबूत करना**
    - यह प्रणाली विस्फोटकों, सर्किटों, ट्रिगरिंग तंत्र और कार्यप्रणाली से संबंधित पैटर्न की पहचान करके विस्फोट के बाद के विश्लेषण का समर्थन करती है।
    - घटनाओं के बीच "हस्ताक्षर लिंक" स्थापित करके, जांचकर्ता मामलों में समानताओं का पता लगा सकते हैं, भले ही वे अलग-अलग राज्यों या वर्षों में हों।
3. **विशिष्ट संस्थानों की भूमिका**
    - एनआईडीएमएस का मुख्यालय हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की चौकी में स्थित है।
    - विस्फोट के बाद के विश्लेषण के लिए प्राथमिक एजेंसी के रूप में एनएसजी डेटा की तकनीकी विश्वसनीयता और परिचालन प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है।
4. **उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग**
    - प्लेटफ़ॉर्म को कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - यह प्रवृत्ति विश्लेषण, आवर्ती तकनीकों की पहचान और भविष्य के खतरों के पूर्वानुमानित मूल्यांकन की गुंजाइश की अनुमति देता है।
5. **परिचालन और रणनीतिक उपयोगिता**
    - जांचकर्ताओं के लिए "सिंगल-क्लिक एक्सेस विंडो" के रूप में कार्य करता है, जो बिखरी हुई केस फ़ाइलों के कारण होने वाली देरी को कम करता है।
    - आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर-एजेंसी समन्वय और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में वृद्धि करता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली बम विस्फोट और आईईडी से संबंधित खतरों से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण में एक संरचनात्मक सुधार है। ऐतिहासिक डेटा, फोरेंसिक विश्लेषण और उन्नत डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करके, एनआईडीएमएस जांच दक्षता बढ़ाता है, दीर्घकालिक खतरे के आकलन का समर्थन करता है और आतंकवाद के खिलाफ संस्थागत तैयारियों को मजबूत करता है। इसकी

सफलता समय पर डेटा इनपुट, अंतर-एजेंसी सहयोग और विश्लेषणात्मक क्षमताओं के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करेगी, जिससे यह भारत के विकसित आंतरिक सुरक्षा ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाएगा।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : चर्चा करें कि राष्ट्रीय इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (एनआईडीएमएस) भारत की आतंकवाद विरोधी और आंतरिक सुरक्षा तैयारियों को कैसे बढ़ा सकता है। (150 शब्द)

पेज 08 : सामान्य अध्ययन II : सामाजिक न्याय / प्रारंभिक परीक्षा

भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड भारत में कृषि सुरक्षा, ग्रामीण ऋण पहुंच और शासन की रीढ़ हैं। हालांकि, तेलंगाना में, अनौपचारिक भूमि लेनदेन की एक ऐतिहासिक विरासत जिसे सदा बैनामा के रूप में जाना जाता है, ने नौ लाख से अधिक किसानों को बिना कानूनी स्वामित्व के भूमि पर खेती करने के लिए छोड़ दिया है। तेलंगाना भू भारती (भूमि में अधिकारों का रिकॉर्ड) अधिनियम, 2025 के अधिनियमन के बावजूद, जिसका उद्देश्य इस लंबे समय से चली आ रही विसंगति को हल करना है, प्रक्रियात्मक बाधाओं और असंगत कार्यान्वयन ने नियमितीकरण को रोक दिया है। वास्तविक कब्जे और कानूनी स्वामित्व के बीच परिणामी अंतर भूमि प्रशासन, इक्विटी और राज्य की क्षमता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है।

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण



A farmer in Devanuru village, Warangal (Urban), holds two proofs of ownership: a torn, laminated one-rupee patta from the Nizam era, issued to his grandfather, and a 1996 Sada Bainama — a plain-paper sale deed showing he bought the land from his brother. FILE PHOTO

Land owner on ground, not in official records

Decades-old Sada Bainamas — informal, plain-paper land agreements — have left over nine lakh farmers in Telangana without titles as procedural hurdles and record discrepancies stall regularisation under the Bhu Bharati Act, 2025. Small and marginal farmers are calling for Gram Sabha verifications and clearer rules to secure ownership and reduce disputes, report **M. Rajeev, P. Sridhar and P. Laxma Reddy**

For several years, he has ploughed the land. Yet, at 70, he still cannot call it his own.

Maruthaiah of Bhojannapeta village, just seven km from Peddapalli town in Telangana, finds himself trapped in a legal limbo over 22 guntas of agricultural land his father had bought in the early 1980s through a 'Sada Bainama' – an unregistered agreement common at the time. After inheriting it, his attempt to regularise the land has stalled, with Revenue officials insisting on an affidavit from the legal heirs of the original seller, an almost impossible condition that has left him waiting indefinitely for a title deed.

Not just him, this affidavit requirement has emerged as the biggest roadblock for thousands of small and medium farmers across Telangana. In many cases, sellers have died, their heirs have migrated or they are unwilling to cooperate unless "favours" are extended. A sharp rise in land prices over the past decade has only made the task more difficult.

The result is a cruel paradox: farmers who have cultivated land for decades, whose names appear in official "enjoyment columns", are still denied ownership.

A small farmer from Rampalli village in Peddapalli district, speaking on condition of anonymity, says despite submitting the Sada Bainama and other documentary evidence, Revenue officials continue to demand an affidavit from the seller or their legal heir. "The land seller left the village in the late 1980s due to drought like conditions in what used to be a Naxal-hit region. I have tried tracing his family, but in vain. If they are not traceable, where do I go," he asks.

Farmer leader Kannaganti Ravi of Telangana Rythu Swaraja Vedika terms the affidavit rule illogical. "The Sada Bainama transactions took place several decades ago, based on mutual trust. Continuous possession and cultivation of such lands by farmers are proof enough of ownership. Ground inspection, enjoyment survey and enquiry with neighbouring farmers should suffice," he insists. The issue cuts across regions. In the erstwhile Karimnagar, Khammam, Nizamabad, Adilabad and Medak districts, affidavit-related delays have become routine.

"Around 7,800 applications were received for the regularisation of Sada Bainamas in Konijerla mandal of Khammam district," Tahsildar Aruna says, adding nearly 6,500 applications have already been processed and that the exercise is nearing completion.

While officials cite progress, many farmers say ground-level realities speak a different story. A farmer from Munjampally village in Jagtial district says despite repeated pleas for inspection of his 28-gunta land, officials have not showed up yet. "They cite various reasons, including that they are busy. Several others in the village have managed to get their lands regularised by offering favours," he alleges.

> The Sada Bainama transactions took place several decades ago, based on mutual trust. Continuous possession and cultivation of such lands by farmers are proof enough of ownership
>
> KANNAGANTI RAVI, Farmer leader

The situation is worse in villages merged with urban bodies. K. Balaraju (65), a Dalit farmer from Mogilicherla near Warangal, now under the Greater Warangal Municipal Corporation, says he cannot regularise 1.27 acres purchased from his maternal aunt 20 years ago. "Officials say there is no provision to regularise Sada Bainama now that the village is part of the municipal corporation. We also cannot pursue formal registration due to high fees," he rues.

M. Adinarayana Reddy from Warangal district, who bought two acres in Dwarakapet in 1956, says he is facing a similar hurdle after the village was merged into Narsampet municipality.

Several farmers allege corruption and discretionary enforcement by officials, further muddying an already opaque process. The land they have lived off for decades remains officially out of reach, as they are held hostage by paperwork, affidavits and an unyielding system.

Historical background

Rooted in the Nizam era, the Sada Bainama practice became widespread across rural Telangana, allowing farmers – often illiterate or cash-strapped – to buy and sell small land parcels without formal registration. While inexpensive, it was fraught with risks: purchasers did not acquire legal title, leaving them vulnerable to disputes, eviction and exclusion from government welfare schemes.

Though earlier recognised under the Telangana Rights in Land and Pattadar Passbooks Act, 1971, inconsistencies in record-keeping led to disputes, which became more pronounced after the formation of Telangana in 2014.



Aggrieved landowners queue up at the Chief Commissioner of Land Administration office in Hyderabad, citing loopholes in the Dharani (now Bhu Bharati) portal, which is focussed on simplifying land records and improving transparency. FILE PHOTO

In 2016, the Bharat Rashtra Samithi (then Telangana Rashtra Samithi) government launched the first phase of regularisation under the Record of Rights (RoR) Act. Of more than 12.64 lakh applications, pattadar passbooks were issued to 6.18 lakh farmers after scrutiny, with small holders exempted from fees. Many claims, however, were rejected due to verification related issues.

A second phase followed in 2020 through Government Order No.112, drawing over nine lakh applications at MeeSeva centres.

Amendments to the RoR Act and a Public Interest Litigation challenging the process led the High Court to impose an interim stay, freezing cases for nearly five years. The uncertainty fuelled rural discontent and became a key election issue in 2023, prompting the Congress to promise a resolution and later replace the Dharani Act with the Bhu Bharati Act.

High Court clearance, fresh push

The stalemate ended on August 6 last year, when a Division Bench of the High Court dismissed the PIL and vacated the interim stay, noting that the Telangana Bhu Bharati (Record of Rights in Land) Act, 2025 provides for regularisation of Sada Bainamas under Section 6.

Revenue and Housing Minister Ponguleti Srinivas Reddy termed the ruling as "historic", saying it would benefit lakhs of farmers. Officials and experts, including the Telangana Deputy Collectors' Association, said it would reduce disputes and ensure permanent land rights.

> Submission of an affidavit from the land seller or their legal heir is mandatory. Applications are not considered if the affidavit is not produced due to legal issues
>
> A TAHSILDAR

On September 10, the Revenue Department issued a notification directing officials to process pending applications under Section 6(1) of the Act. Applicants were directed to prove continuous possession of land for at least 12 years, with transactions predating June 2, 2014. The scheme applies only to small and marginal farmers in rural areas, excluding urban and commercial lands to prevent misuse.

Revenue Divisional Officers will act as inquiry officers to verify claims and approve registration. Successful applicants will receive fresh pattadar passbooks, enabling formal registration and mutation of land records.

In the absence of legal titles, farmers were unable to use their land as collateral to access institutional credit and often struggled to meet basic agricultural expenses. Regularisation is expected to facilitate access to loans, inputs, and welfare schemes such as Rythu Bharosa.

Officials' role and ongoing process

Explaining the enquiry process, a Tahsildar said that a Revenue Inspector, along with the Grama Palana Officer, conducts field inspections to verify whether the applicant is in possession of and cultivating the land. Notices are issued and displayed at the Gram Panchayat office, while statements of neighbouring landowners are recorded during inspections to confirm possession and enjoyment. "We also verify other records such as entry in manual Pahani to establish that the applicant purchased the land from the original owner, who was the pattadar," he says.

However, the Tahsildar said submission of an affidavit from the seller or their legal heir is mandatory. Applications are not considered if the affidavit is not produced due to legal issues, he adds and points out that many cases are further complicated by incorrect names of sellers or survey numbers in decades-old Sada Bainama documents. "Disposal of these cases has become a challenge," he admits.

While Tahsildars conduct enquiries and submit reports, the final authority to approve regularisation rests with the Revenue Divisional Officer.

Legal framework for regularisation

Pattadar passbooks, which confer legal recognition of land ownership, are crucial for farmers to access institutional credit and welfare schemes. However, a sizeable section of cultivators in Telangana remains without titles despite uninterrupted possession for decades, largely due to land transactions made through Sada Bainamas – executed on plain-paper or through unregistered documents.

Unlike registered sale deeds protected under the Telangana Rights in Land and Pattadar Passbooks Act, 1971, Sada Bainamas lack legal validity under successive land laws. As a result, over nine lakh farmers continue to hold land without title deeds.

The BRS government had earlier fixed June 2, 2014, as the cut-off date for regularisation, triggering over 9.2 lakh applications. But the process stalled, leaving applicants in distress. After assuming office in December 2023, the Congress government sought to revive the process by incorporating provisions for regularisation of Sada Bainamas under Section 6 of the Telangana Bhu Bharati (Record of Rights in Land) Act, 2025.

Despite the new law, progress on the ground has been slow. Officials are reportedly insisting on affidavits, citing rules framed under the Act, while discrepancies between names in old Sada Bainamas and current entries in the enjoyment column have led to software and verification delays. The affidavit requirement – introduced through rules framed under the Act rather than the Act itself – has emerged as a major bottleneck, resulting in negligible regularisation in recent months.

Land laws expert and NALSAR adjunct professor M. Sunil Kumar, who was actively involved in the preparation of the Bhu Bharati Act, says the lack of clear, written operational guidelines has led to varying interpretations by field officials, causing delays and giving scope for alleged discretion in implementation.

Experts have urged the government to prioritise local enquiries to establish possession and cultivation, rather than rely excessively on affidavits, and to reframe rules by clearly defining the roles of officials at various levels. They also point to the absence of comprehensive land surveys in Telangana as a structural hurdle. Neighbouring Andhra Pradesh's decision to order a resurvey and extend regularisation of Sada Bainamas till December 31, 2027, is cited as an example Telangana could follow.

There are also calls to incorporate provisions similar to Sections 5-A and 5-B of the 1971 Act into the Bhu Bharati Act, empowering Tahsildars to regularise Sada Bainama lands, issue Form 13-B certificates, place such lands on par with registered holdings and enable the grant of pattas and pattadar passbooks, thereby conferring full ownership rights on farmers.

Meanwhile, Telangana Agriculture and Farmers Welfare Commission chairman M. Kodanda Reddy, who also played a key role in enacting the Act, says a representation had been made to Chief Minister A. Revanth Reddy on the affidavit hurdle and that a high-level meeting would be held to find a way forward.

"We proposed a Gram Sabha to be conducted to ascertain facts regarding the sale of land through Sada Bainamas," he says.

Another expert suggests that notices could be issued to both sellers and buyers, enabling affidavits to be furnished publicly, easing verification.

If implemented, such measures are expected not only to unlock regularisation but also reduce land disputes that have long plagued Telangana, offering farmers security of tenure, smoother inheritance and legally protected ownership.

पेजभूमि: सदा बैनामास क्या हैं?

- सदा बैनामा सादे कागज, अपंजीकृत भूमि बिक्री समझौते हैं, जो निजाम युग के दौरान और 20 वीं शताब्दी के अंत में प्रचलित हैं।
- वे निरक्षरता, गरीबी, उच्च पंजीकरण लागत और ग्रामीण तेलंगाना में सीमित राज्य पहुंच के कारण उभरे।
- जबकि खरीदारों को अक्सर निर्बाध कब्जे और खेती का आनंद मिलता था, उन्होंने कभी भी कानूनी शीर्षक हासिल नहीं किया, जिससे वे विवादों और संस्थागत लाभों से बहिष्करण के प्रति संवेदनशील हो गए।

भूमि और पट्टादार पासबुक अधिनियम, 1971 में तेलंगाना अधिकार और बाद में आरओआर/धरणी ढांचे के माध्यम से नियमितीकरण के पहले के प्रयासों को केवल आंशिक सफलता मिली, मुकदमेबाजी के कारण बड़ी संख्या में आवेदनों को खारिज कर दिया गया या फ्रीज कर दिया गया।

भू भारती अधिनियम, 2025: वादा और व्यवहार

भू भारती अधिनियम विवादास्पद धरणी प्रणाली को बदलने और भूमि प्रशासन में विश्वास बहाल करने के लिए पेश किया गया था। अधिनियम की धारा 6 सदा बैनामा लेनदेन को नियमित करने की अनुमति देती है, बशर्ते कि:

- लेन-देन 2 जून 2014 से पहले का है
- आवेदक कम से कम 12 वर्षों तक निरंतर कब्जा साबित करता है
- यह भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे या सीमांत किसानों की है

हालांकि, अधिनियम के तहत बनाए गए नियम – अधिनियम के तहत – मूल विक्रेताओं या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों से हलफनामे को अनिवार्य करते हैं, जो सबसे बड़ी अड़चन बन गई है।

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

1. हलफनामे की आवश्यकता: एक संरचनात्मक असंभवता

- कई मामलों में, बढ़ते भूमि मूल्यों के कारण विक्रेता मृत, अप्राप्य या सहयोग करने के इच्छुक नहीं होते हैं।
- यह स्थिति स्वामित्व के प्रमाण के रूप में दशकों के कब्जे और खेती को प्रभावी ढंग से समाप्त कर देती है।
- यह प्रतिकूल कब्जे और दीर्घकालिक आनंद के सिद्धांत का खंडन करता है जिसे भूमि न्यायशास्त्र में कहीं और मान्यता प्राप्त है।

2. प्रशासनिक विवेक और भ्रष्टाचार के आरोप

- स्पष्ट, लिखित परिचालन दिशानिर्देशों के अभाव में क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा विभिन्न व्याख्याएं की गई हैं।
- किसानों का आरोप है कि चयनात्मक निरीक्षण, देरी और "अनुकूलता-आधारित" नियमितीकरण, कानून के शासन को कमजोर करता है।

3. शहरीकरण और बहिष्करण

- नगर निगमों में विलय किए गए गांवों को नियमितीकरण से बाहर रखा गया है, भले ही लेन-देन कृषि प्रकृति के हों।
- उच्च पंजीकरण शुल्क औपचारिकता को और रोकता है, खासकर दलित और सीमांत किसानों के लिए।

4. खराब भूमि रिकॉर्ड और सर्वेक्षण की कमी

- तेलंगाना में व्यापक पुनर्सर्वेक्षण का अभाव है, जिससे नाम, सर्वेक्षण संख्या और आनंद स्तंभों में बेमेल हो गया है।

- यह तकनीकी नाजुकता सॉफ्टवेयर-आधारित सत्यापन में देरी करती है और विवादों को बढ़ावा देती है।

निहितार्थ

किसानों के लिए

- संस्थागत ऋण, फसल बीमा और रायथू भरोसा जैसी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने में असमर्थता।
- असुरक्षित विरासत और मुकदमेबाजी का खतरा बढ़ जाता है।

शासन के लिए

- अनौपचारिक भूमि जोत का बने रहना भूमि बाजार की दक्षता, राजस्व जुटाने और विवाद समाधान को कमजोर करता है।
- राज्य संस्थानों और सुधार वादों में विश्वास को कमजोर करता है।

संघीय और तुलनात्मक शिक्षा के लिए

- आंध्र प्रदेश का 2027 तक नियमितीकरण का विस्तार करने और फिर से सर्वेक्षण का आदेश देने का निर्णय एक नीतिगत बेंचमार्क प्रदान करता है।

आगे की राह: कार्यान्वयन में सुधार, इरादा नहीं

विशेषज्ञों और किसान समूहों ने व्यावहारिक समाधान सुझाए हैं:

- कब्जा और सामुदायिक पावती स्थापित करने के लिए ग्राम सभा आधारित सत्यापन।
- हलफनामे पर क्षेत्र निरीक्षण, आनंद सर्वेक्षण और पड़ोसी की गवाही को प्राथमिकता देना।
- निजी हलफनामे की आवश्यकता के बजाय विक्रेताओं और खरीदारों को सार्वजनिक नोटिस जारी करना।
- 1971 के अधिनियम की धारा 5-ए और 5-बी के समान प्रावधानों के माध्यम से तहसीलदारों को सशक्त बनाना।
- मूलभूत भूमि अभिलेखों को सही करने के लिए राज्यव्यापी पुनर्सर्वेक्षण करना।
- विवेक को सीमित करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक समान, लिखित दिशा-निर्देश जारी करना।

निष्कर्ष

तेलंगाना में सदा बैनामा मुद्दा एक गहरी शासन चुनौती पर प्रकाश डालता है: ऐतिहासिक अनौपचारिकता को आधुनिक कानूनी ढांचे के साथ समेटना। जबकि भू भारती अधिनियम, 2025 भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक प्रगतिशील इरादे का प्रतिनिधित्व करता है, इसकी सफलता कठोर प्रक्रियावाद के बजाय जन-केंद्रित कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। कब्जे और स्वामित्व के बीच की खाई को पाटना केवल एक कानूनी अभ्यास नहीं है - यह कृषि न्याय, ग्रामीण स्थिरता और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। यदि प्रभावी ढंग से हल किया जाता है, तो तेलंगाना भारत के अन्य हिस्सों में भूमि सुधारों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल पेश कर सकता है, जो इसी तरह की विरासत से जूझ रहा है।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: पट्टादार पासबुक मुख्य रूप से किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे:

(a) स्थानीय निकायों में मतदान का अधिकार प्रदान करना

(b) संस्थागत ऋण और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को सक्षम बनाना

(c) कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में बदलने की अनुमति देना

(घ) भूमि पट्टे पर देने के लिए अनिवार्य हैं

उत्तर : b)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: कृषि संकट को कम करने में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और कानूनी स्पष्टता की भूमिका का गंभीर विश्लेषण करें। सदा बैनामा के नियमितीकरण के साथ तेलंगाना के अनुभव से अन्य राज्य क्या सबक सीख सकते हैं? **(150 शब्द)**

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण

राजस्थान के जालोर जिले में हाल ही में एक जाति पंचायत द्वारा महिलाओं को स्मार्टफोन का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने के आदेश ने ग्रामीण भारत में पितृसत्ता, प्रौद्योगिकी और अनौपचारिक शक्ति संरचनाओं के चौराहे पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सार्वजनिक आक्रोश और हस्तक्षेप के बाद आदेश को वापस ले लिया गया था, लेकिन यह प्रकरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे डिजिटल उपकरणों तक महिलाओं की पहुंच पर गहरा विवाद बना हुआ है। ऐसे युग में जहां डिजिटल कनेक्टिविटी शिक्षा, आजीविका और सशक्तिकरण से तेजी से जुड़ी हुई है, इस तरह के प्रतिबंध संवैधानिक अधिकारों, लैंगिक समानता और भारत के डिजिटल समावेशन लक्ष्यों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं।



Women, almost disconnected

A caste panchayat in Rajasthan's Jalore district banned women's access to smartphones, revoking the ban when faced with outrage. While the village heads said it was the women who demanded it because the children overused them, some women say it's about control, finds Alisha Dutta

मुख्य मुद्दे और विश्लेषण

1. जाति पंचायतें और संविधानेतर प्राधिकरण

जाति पंचायतों, हालांकि संवैधानिक या कानूनी मंजूरी का अभाव है, ग्रामीण भारत के कई हिस्सों में वास्तविक सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग करना जारी रखता है। उनके फरमान अक्सर विवाह, गतिशीलता, पोशाक और अब प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करते हैं, खासकर महिलाओं के लिए।

- ऐसे निकाय व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रथागत मानदंडों को प्राथमिकता देकर संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करते हैं।
- सामाजिक बहिष्कार और जुर्माने का डर अनुपालन को सहमति के बजाय जबरदस्ती बनाता है।

2. जेंडर डिजिटल डिवाइड

यह घटना भारत के लगातार लैंगिक डिजिटल विभाजन को दर्शाती है:

- व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (दूरसंचार 2025) के अनुसार, महिलाओं के बीच ग्रामीण मोबाइल स्वामित्व (≈48%) पुरुषों (≈81) की तुलना में बहुत कम है।
- एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (2024) के आंकड़ों से पता चलता है कि किशोरियों में लड़कों की तुलना में स्मार्टफोन रखने या उन तक पहुंचने की संभावना काफी कम है, खासकर ग्रामीण राजस्थान में।

स्मार्टफ़ोन, केवल मनोरंजन उपकरण होने से दूर, इसके लिए महत्वपूर्ण हैं:

- ऑनलाइन शिक्षा और परीक्षा की तैयारी तक पहुँचना

- वित्तीय समावेशन (यूपीआई, डीबीटी, बैंकिंग ऐप्स)
- सूचना, शिकायत निवारण और सोशल नेटवर्किंग

इस प्रकार महिलाओं की पहुंच को प्रतिबंधित करना बहिष्करण को संस्थागत बनाता है।

3. सुरक्षा के रूप में प्रच्छन्न नियंत्रण

जबकि गांव के बुजुर्गों ने बच्चों की स्क्रीन की लत की प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिबंध को उचित ठहराया, लेख के साक्ष्य बताते हैं कि:

- प्रतिबंध केवल महिलाओं पर लागू होता है, पुरुषों पर नहीं।
- सोशल मीडिया पर महिलाओं की नैतिकता, व्यवहार और दृश्यता केंद्रीय चिंताएं थीं।

इससे एक ऐसे पैटर्न का पता चलता है जहां प्रौद्योगिकी निगरानी और नियंत्रण का एक उपकरण बन जाती है, जो महिलाओं की स्वायत्तता, गतिशीलता और पसंद के बारे में पितृसत्तात्मक चिंताओं को मजबूत करती है।

4. आकांक्षाएं बनाम सामाजिक रूढ़िवाद

लेख में निम्नलिखित के बीच एक मौन संघर्ष पर प्रकाश डाला गया है:

- युवा महिलाओं की आकांक्षाएं (शिक्षा, सोशल मीडिया उपस्थिति, आत्म-अभिव्यक्ति), और
- पारंपरिक संरचनाएं जो इस तरह के जोखिम को कम उम्र में शादी और सत्ता-वट्टा जैसी प्रणालियों जैसे स्थापित मानदंडों के लिए खतरे के रूप में देखती हैं।

डिजिटल पहुंच महिलाओं को "दुनिया के लिए एक खिड़की" देती है, जो कठोर लिंग भूमिकाओं को चुनौती देती है - जो अक्सर रूढ़िवादी समुदाय के अभिजात वर्ग से प्रतिक्रिया को भड़काती है।

5. राज्य प्रतिक्रिया और अधिकार ढांचा

एनएचआरसी और जिला प्रशासन का हस्तक्षेप इस बात को रेखांकित करता है:

- मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 19(1)(ए) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), और अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) के रक्षक के रूप में राज्य की भूमिका।
- हालांकि, निरंतर कानूनी जागरूकता, सामाजिक सुधार और जमीनी स्तर पर प्रवर्तन के बिना पोस्ट-फैक्टो हस्तक्षेप अपर्याप्त है।

आगे की राह

- कानूनी साक्षरता और जागरूकता: ग्रामीण महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों और डिजिटल अधिकारों के बारे में शिक्षित करना।
- लिंग-संवेदनशील डिजिटल नीतियां: डिजिटल इंडिया और महिला-केंद्रित योजनाओं को अंतिम छोर तक सामाजिक वास्तविकताओं के साथ जोड़ना।

- सामुदायिक जुड़ाव: लिंग-तटस्थ उपायों के माध्यम से स्क्रीन की लत जैसी वैध चिंताओं को संबोधित करना, भेदभावपूर्ण प्रतिबंध के माध्यम से नहीं।
- स्थानीय शासन को मजबूत करना: अनौपचारिक जाति निकायों पर निर्वाचित पंचायतों को सशक्त बनाना।

निष्कर्ष

जालोर की घटना केवल स्मार्टफोन के बारे में नहीं है; यह इस बारे में है कि बदलते भारत में महिलाओं की पसंद को कौन नियंत्रित करता है। जैसे-जैसे डिजिटल पहुंच नागरिकता का अभिन्न अंग बन जाती है, महिलाओं को प्रौद्योगिकी के अधिकार से वंचित करना उन्हें आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी से वंचित करने के समान है। जबकि अत्यधिक स्क्रीन उपयोग पर चिंताएं वैध हैं, समाधान महिलाओं की स्वायत्तता और संवैधानिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आ सकते हैं। यह प्रकरण डिजिटल समावेशन के साथ सामाजिक सुधार को समेटने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि भारत की तकनीकी प्रगति मौजूदा लैंगिक पदानुक्रम को गहरा नहीं करती है, बल्कि सशक्तिकरण और समानता का एक माध्यम बन जाती है।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : ग्रामीण भारत में लैंगिक डिजिटल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. **मोबाइल फोन तक महिलाओं की पहुंच पुरुषों की तुलना में काफी कम है।**

2. **डिजिटल पहुंच की कमी महिलाओं की शिक्षा, वित्तीय समावेशन और नागरिक भागीदारी को प्रभावित करती है।**

3. **डिजिटल डिवाइड केवल एक तकनीकी मुद्दा है न कि सामाजिक मुद्दा।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) **केवल** 1 **और** 2

(b) **केवल** 2

(c) **केवल** 1 **और** 3

(d) 1, 2 **और** 3

उत्तर: a)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

संवैधानिक वैधता की कमी के बावजूद ग्रामीण भारत में जाति पंचायतें सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती रहती हैं। इस कथन पर महिलाओं द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में चर्चा करें। (250 **शब्द**)

पेज 11 : सामान्य अध्ययन III : भारतीय अर्थव्यवस्था / प्रारंभिक परीक्षा

दिसंबर 2025 में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में प्रवाह में रिकॉर्ड वृद्धि, जैसा कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) द्वारा रिपोर्ट किया गया है, वैश्विक और घरेलू मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है. गोल्ड ईटीएफ में शुद्ध प्रवाह तीन गुना बढ़कर 1.16 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है, जबकि इक्विटी-उन्मुख योजनाओं में गिरावट देखी गई है, यह एपिसोड एक सेफ-हेवन एसेट के रूप में सोने की नई अपील को उजागर करता है और भारत के वित्तीय बाजारों में बाजार की भावना, पोर्टफोलियो विविधीकरण और जोखिम धारणा के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।

Gold ETFs score over equities in Dec.

Net inflows into gold exchange traded funds tripled to a record high of ₹1,16,467 crore in Dec. 2025 from the month earlier, according to AMFI data; surge due to 'sustained demand for gold-backed products amid elevated macro uncertainty'

Ashokamithran T.
MUMBAI

Mutual fund investors chose gold exchange traded funds (ETFs) over equity-oriented schemes in December 2025, following the rally in gold and the suboptimal returns.

According to data from Association of Mutual Funds in India (AMFI), the net inflows into gold ETFs, a mutual fund investment avenue that is relatively in its nascent stage, tripled to ₹1,16,467 crore in December 2025 from the month earlier. This is a record high net inflow into gold ETFs. Meanwhile, the net inflows into equity-oriented schemes dipped 6.2% in the month under review, coming in at ₹28,054 crore.



Recency bias: Gold ETFs recorded their highest ever inflow after gold delivered more than 70% returns in CY25. GETTYIMAGES/ISTOCK

"Gold ETFs recorded their highest ever inflow after gold delivered more than 70% returns in CY25, pointing to some recency bias," said Feroze Azeez, Joint CEO, Anand Rathi Wealth Limited.

The emergence of gold ETFs may point to both an improving diversification of the Indian mutual fund investors and a safe haven demand.

Increasing flows into gold ETFs and a decline in equity inflows also came with a net outflow of ₹66,532 crore in all open-ended schemes.

SIP inflows continued to improve on a monthly basis. "The surge was driven by sustained demand for gold-backed products amid elevated macro uncertainty and intermittent risk-off sentiment.

Strong price momentum in gold through 2025, coupled with heightened safe-haven demand, continued to support investor interest in the segment," said Himanshu Srivastava, Principal Research, Morningstar Investment Research India.

To be sure, the benchmark Nifty 50 returned just 10% in past year, as foreign investors sold more than ₹1.5 lakh crore in Indian equities, triggered by expensive valuations to justify the quarterly earnings.

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

1. मैक्रो अनिश्चितता के बीच सेफ-हेवन मांग

कैलेंडर वर्ष 2025 में गोल्ड का मजबूत प्रदर्शन, 70% से अधिक रिटर्न प्रदान करता है, जो इस प्रकार है:

- बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता (भू-राजनीतिक तनाव, मौद्रिक सख्ती, अस्थिर पूंजी प्रवाह)
- भारतीय शेयर बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की निकासी के कारण जोखिम की धारणा

ऐसी अवधि में, सोना पारंपरिक रूप से मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करता है, जिससे निवेशकों को इक्विटी जैसी जोखिम भरी परिसंपत्तियों से दूर पूंजी को फिर से आवंटित करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

2. निवेश व्यवहार में पुनरावृत्ति पूर्वाग्रह

एक मजबूत मूल्य रैली के तुरंत बाद गोल्ड ईटीएफ में तेज प्रवाह **रीसेंसी पूर्वाग्रह का संकेत देता है**, जहां निवेशक हाल ही में उच्च रिटर्न को भविष्य की उम्मीदों में एक्सट्रपलेशन करते हैं।

- यह व्यवहार प्रवृत्ति प्रो-साइक्लिकल निवेश निर्णयों **को जन्म दे सकती है**, जिससे परिसंपत्ति मूल्य आंदोलनों में वृद्धि हो सकती है।
- UPSC के लिए, यह बुनियादी **बातों से परे बाजार की गतिशीलता को समझने में व्यवहार** वित्त की प्रासंगिकता को दर्शाता है।

3. इक्विटी मार्केट अंडरपरफॉर्मेंस और मूल्यांकन संबंधी चिंताएं

इसी अवधि के दौरान:

- इक्विटी प्रवाह में 6% से अधिक की गिरावट आई।
- बेंचमार्क **निफ्टी 50** ने वर्ष में केवल लगभग 10% रिटर्न डिलीवर किए.
- एफपीआई ने 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की भारतीय इक्विटी बेची, जिसमें स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन और आय की चिंता का हवाला दिया गया है।

सोने और इक्विटी प्रदर्शन के बीच इस अंतर ने रक्षात्मक परिसंपत्तियों के लिए निवेशकों की प्राथमिकता को मजबूत किया।

4. गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड का वित्तीयकरण

परंपरागत रूप से, भारतीय परिवारों ने **भौतिक सोने** को प्राथमिकता दी। गोल्ड ईटीएफ संकेतों की बढ़ती लोकप्रियता:

- अधिक वित्तीय **साक्षरता और बचत को औपचारिक रूप देना**
- भौतिक सोने की तुलना में भंडारण, शुद्धता और तरलता जोखिम में कमी
- अत्यधिक वास्तविक सोने के आयात को रोकने और चालू खाता घाटे को प्रबंधित करने के लिए नीतिगत उद्देश्यों के साथ संरेखण

इस प्रकार, गोल्ड ईटीएफ वित्तीय प्रणाली के भीतर सोने के निवेश के लिए एक अधिक कुशल चैनल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

5. म्यूचुअल फंड उद्योग और पूंजी बाजार के लिए प्रभाव

- उच्च एसआईपी प्रवाह के बावजूद ओपन-एंडेड योजनाओं से शुद्ध बहिर्वाह **एकमुश्त निवेशकों के बीच अल्पकालिक सावधानी का** संकेत देता है।
- बढ़ते एसआईपी योगदान से संकेत मिलता है कि दीर्घकालिक आत्मविश्वास बरकरार रहता है, यहां तक कि सामरिक बदलाव सोने के पक्ष में भी होते हैं।

- यह प्रवृत्ति एकल परिसंपत्ति वर्ग पर अत्यधिक निर्भरता के बजाय **परिसंपत्ति आवंटन रणनीतियों** के महत्व को रेखांकित करती है।

व्यापक आर्थिक महत्व

- **परिवारों के लिए**: गोल्ड ईटीएफ विविधीकरण लाभ और मुद्रास्फीति हेजिंग प्रदान करते हैं।
- **पूंजी बाजारों के लिए**: शिफ्टिंग फ्लो इक्विटी मार्केट की गहराई और अस्थिरता को प्रभावित कर सकता है.
- **नीति निर्माताओं के लिए**: भौतिक सोने पर वित्तीय सोने को प्रोत्साहित करना व्यापक आर्थिक स्थिरता का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

दिसंबर 2025 में गोल्ड ईटीएफ प्रवाह में वृद्धि इस बात को रेखांकित करती है कि निवेशक प्राथमिकताएं बाजार प्रदर्शन, वैश्विक अनिश्चितता और कथित जोखिमों पर तेजी से कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। जबकि यह प्रवृत्ति विवेकपूर्ण विविधीकरण और भारतीय निवेशकों के बढ़ते परिष्कार को दर्शाती है, इसमें रिसेंसी पूर्वाग्रह द्वारा संचालित रिटर्न-चेसिंग का जोखिम भी होता है। व्यापक दृष्टिकोण से, यह प्रकरण भारत के बचत परिदृश्य की उभरती संरचना पर प्रकाश डालता है, जहां वित्तीय साधन तेजी से पारंपरिक परिसंपत्तियों की जगह ले रहे हैं। हालांकि, स्थायी धन सृजन के लिए, संतुलित परिसंपत्ति आवंटन - अल्पकालिक बाजार आंदोलनों द्वारा संचालित अचानक बदलाव के बजाय - आवश्यक रहता है।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : दिसंबर 2025 में गोल्ड ईटीएफ में प्रवाह में वृद्धि व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों के बदलते व्यवहार को दर्शाती है। इस बदलाव के कारणों का विश्लेषण करें और भारत के वित्तीय बाजारों के लिए इसके प्रभावों पर चर्चा करें। (250 **शब्द**)



दैनिक समाचार विश्लेषण

पेज : 06 : संपादकीय विश्लेषण

दैनिक समाचार विश्लेषण

जीएस पेपर II : अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूपीएससी मुख्य अभ्यास प्रश्न : रूस पर प्रतिबंध और वेनेजुएला में रणनीतिक हित सहित तेल कूटनीति पर हाल ही में अमेरिकी कार्रवाई, पेट्रोडॉलर प्रणाली के क्षरण के बारे में गहरी चिंताओं को दर्शाती है। इस कथन का डी-डॉलरीकरण और वैश्विक व्यापार और वित्त के लिए इसके निहितार्थ के संदर्भ में गंभीर रूप से विश्लेषण करें। **(150 शब्द)**

संदर्भ :

तेल पर अमेरिकी नीति के आसपास चल रहे भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से रूस और वेनेजुएला पर इसका आक्रामक रुख, वैश्विक व्यापार और वित्त में गहरे संरचनात्मक बदलावों को दर्शाता है। परंपरागत रूप से, पेट्रोडॉलर प्रणाली - जिसमें कच्चे तेल की कीमत मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में होती है और इसका कारोबार होता है - ने 1970 के दशक से अमेरिकी आर्थिक और वित्तीय प्रधानता को रेखांकित किया है। इस प्रणाली ने न केवल अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मांग को बनाए रखा, बल्कि अमेरिकी वित्तीय परिसंपत्तियों में पेट्रोडॉलर के बड़े पैमाने पर रीसाइक्लिंग की सुविधा भी प्रदान की, जिससे वैश्विक भंडार और अंतरराष्ट्रीय भुगतान में डॉलर के प्रभुत्व को मजबूत किया गया।

हालांकि, ऊर्जा व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्त में उभरते पैटर्न धीरे-धीरे डी-डॉलरीकरण का संकेत देते हैं, जो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की मांग करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा संचालित है। यह बहुआयामी बदलाव अमेरिकी विदेश और आर्थिक नीति में रणनीतिक पुनर्गणना को प्रेरित कर रहा है, जिसका वैश्विक आर्थिक ढांचे और भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

1. पेट्रोडॉलर की दृढ़ता और सशर्तता

1970 के दशक के बाद से, तेल लेनदेन में अमेरिकी डॉलर की भूमिका ने डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों के लिए एक निरंतर वैश्विक मांग पैदा की है, जिससे घाटे को वित्तपोषित करने और मौद्रिक प्रभाव

De-dollarisation fear

U.S.'s moves on oil reflect its uneasiness over global trade and finance

President Donald Trump's urgency to push the Russia Sanctions Bill through Congress, granting him the power to impose tariffs of up to 500% on nations buying oil from Moscow, is officially framed as a punitive measure to weaken Russia's war economy. Yet, this legislative push comes just after the capture of Venezuelan President Nicolás Maduro on January 3. Throughout his press briefings thereafter, Mr. Trump emphasised Venezuela's vast oil reserves as America's underlying strategic interest. This twin focus on Russian sanctions and Venezuelan oil assets suggests that both measures are less about geopolitical 'penalisation' and more about protecting the petrodollar's dominance at a time when its hegemony is eroding. For decades, oil has been priced and largely settled in U.S. dollars. That system underpinned the dollar's centrality in global finance for much of the late 20th century. But since the sanctions on Russia following its 2014 annexation of Crimea, and, more vigorously, after the Ukraine invasion in 2022, major consumers such as China and India have deepened trading arrangements that circumvent the dollar. India, for instance, imported substantial volumes of Russian crude since 2022, accounting for more than 20% of Russia's war-period crude exports. China's purchases were even larger, reflecting its strategy to secure energy at a discount and experiment with non-dollar settlement mechanisms.

China's use of the yuan in energy trade has significantly enhanced the internationalisation of the renminbi. India has also reportedly begun paying for some Russian crude in yuan, signalling small but telling shifts in how global energy commerce is conducted. Meanwhile, the oil market is evolving with the global energy transition – electric vehicles sales, led by China, are reshaping demand patterns. Mr. Trump's "return to oil" rhetoric and policy thrust must thus be read in the context of this transition. China's dominance in the EV ecosystem represents a structural challenge not just to oil firms but also to the broader economic and financial architectures that supported U.S. dominance for decades. In this light, it is not far-fetched to argue that America's aggressive moves in Venezuela and its hardline strategy against Moscow on oil (and not much else) are aimed more at curtailing China's expanding influence – both in energy markets and in pushing alternatives to the petrodollar – than at addressing geopolitical grievances. Moreover, the spectre of a parallel currency arrangement contemplated by BRICS as a challenge to the 'mighty dollar' further unsettles traditional dollar-centric financial orders. What is at stake is not merely oil or geopolitics, but the architecture of global trade and finance at a moment of historic transition.

डालने की वाशिंगटन की क्षमता मजबूत हुई है। तेल व्यापार और अमेरिकी वित्तीय शक्ति के बीच यह अंतर्निहित संबंध अमेरिकी आधिपत्य के तहत वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिरता की आधारशिला रहा है।

हालाँकि, पेट्रोडॉलर प्रणाली कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और विकसित भू-राजनीतिक प्रोत्साहनों के अधीन है। वैश्विक ऊर्जा मिश्रण बदल रहा है, और कई तेल-आयात और निर्यातक देश लेनदेन को निपटाने के लिए वैकल्पिक मुद्राओं के साथ प्रयोग कर रहे हैं, जो डी-डॉलरीकरण के शुरुआती चरणों को दर्शाता है।

2. उभरते गैर-डॉलर निपटान तंत्र

चीन और भारत जैसे देशों ने गैर-डॉलर तेल व्यापार निपटान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं – उदाहरण के लिए, चीन में युआन-मूल्यवर्ग के ऊर्जा लेनदेन और भारत के मामले में रूसी कच्चे तेल के लिए रुपया/रूबल की व्यवस्था। ये प्रथाएं वैश्विक ऊर्जा वाणिज्य में अमेरिकी डॉलर की स्वचालित आवश्यकता को कम करती हैं और पश्चिमी वित्तीय बुनियादी ढांचे के बाहर विदेशी मुद्रा और भुगतान प्रणालियों के व्यावहारिक विविधीकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं।

ब्रिक्स पहल ने ब्रिक्स पे भी विकसित किया है, जो एक स्वतंत्र भुगतान संदेश प्रणाली है, जिसका उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार निपटान की सुविधा प्रदान करना है, जो डॉलर के प्रभुत्व को और चुनौती देता है।

3. रणनीतिक तनाव और अमेरिकी नीति प्रतिक्रियाएँ

रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर गंभीर टैरिफ लगाने के लिए अमेरिकी विधायी धक्का और वेनेजुएला के तेल भंडार पर रणनीतिक जोर को व्यापक रूप से क्षरण के खिलाफ पेट्रोडॉलर की रक्षा के प्रयासों के रूप में व्याख्या की जाती है। वैकल्पिक तेल स्रोतों पर अंकुश लगाकर और गैर-डॉलर व्यापार भागीदारों के खिलाफ दंडात्मक उपायों का संकेत देकर, अमेरिका उन प्रणालीगत बदलावों को रोकना चाहता है जो डॉलर की केंद्रीयता को कमजोर करते हैं।

इसके अतिरिक्त, ब्रिक्स ब्लॉक की संभावित साझा मुद्रा या व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के विस्तारित उपयोग के बारे में चर्चा - हालांकि व्यावहारिक व्यवहार्यता के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा की गई है - ने बहुध्रुवीय मुद्रा प्रतिस्पर्धा के बारे में वाशिंगटन की चिंताओं को तेज कर दिया है।

4. व्यापक वैश्विक वित्तीय विखंडन

डी-डॉलरीकरण वित्तीय नेटवर्क विविधीकरण की एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों (जैसे स्विफ्ट) के हथियारीकरण पर प्रतिबंधों और चिंताओं ने व्यापार और भुगतान के लिए वैकल्पिक चैनल बनाने की पहल को तेज कर दिया है।

इस तरह के विखंडन, यदि निरंतर बनाए रखा जाता है, तो अमेरिकी प्रतिबंधों और पश्चिमी मौद्रिक उत्तोलन की प्रभावशीलता को कम कर सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य में उच्च लेनदेन लागत और जटिलताओं को भी जोखिम में डाल सकता है, विशेष रूप से स्थिर विनिमय ढांचे पर निर्भर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए।

भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए निहितार्थ

भारत के लिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इन घटनाक्रमों के मिश्रित निहितार्थ हैं:

- **आर्थिक लागत और रणनीतिक स्वायत्तता:** भू-राजनीतिक घर्षण के कारण तेल की बढ़ती कीमतें या आपूर्ति में व्यवधान भारत के चालू खाते और मुद्रास्फीति की गतिशीलता पर दबाव डाल सकता है।
- **विविधीकरण लाभ:** गैर-डॉलर निपटान प्रणालियों में भागीदारी और स्थानीय मुद्राओं में व्यापक व्यापार विदेशी मुद्रा की अस्थिरता को कम कर सकता है और व्यापार नीति में रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ा सकता है।
- **नीति संतुलन:** भारत को अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करना चाहिए – एक प्रमुख व्यापार भागीदार – जबकि चीन, रूस और ब्रिक्स सदस्यों के साथ व्यावहारिक संबंधों को गहरा करना चाहिए ताकि किसी एक भू-राजनीतिक ब्लॉक पर अत्यधिक निर्भरता के बिना ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा की जा सके।

निष्कर्ष

डी-डॉलरीकरण को लेकर का डर केवल बयानबाजी नहीं है; यह वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रथाओं में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। जबकि अमेरिका प्रमुख राजकोषीय और मौद्रिक प्रभाव को बरकरार रखता है, ऊर्जा व्यापार मुद्राओं और वैकल्पिक वित्तीय बुनियादी ढांचे में विविधीकरण के संकेत एकल डॉलर आधिपत्य के क्रमिक क्षरण का संकेत देते हैं। तेल पर रणनीतिक जोर - गैर-डॉलर लेनदेन के खिलाफ दंडात्मक उपायों सहित - न केवल प्रतिद्वंद्वियों के भू-राजनीतिक अनुशासन के बारे में है, बल्कि पेट्रोडॉलर ढांचे में अंतर्निहित प्रणालीगत लाभों को संरक्षित करने के बारे में भी है।